

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या – 153  
(जिसका उत्तर मंगलवार, 08 जुलाई, 2014 को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी से संबंधित नियम

153. श्री अम्बेथ राजन :

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने सी.आई.आई., फिक्की, इत्यादि जैसे विभिन्न हितार्थियों के साथ विचार-विमर्श करने के उपरांत कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी से संबंधित नियमों को अंतिम रूप दिया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ग): कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 को भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई) और भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य मंडलों का परिसंघ (फिक्की) सहित विभिन्न पक्षकारों के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया और 27.04.2014 को अधिसूचित किया गया। राजपत्र अधिसूचना की प्रति मंत्रालय की वेबसाइट (<http://www.mca.gov.in>) पर सार्वजनिक डोमेन में रखी गई है।

\*\*\*\*\*